लखनऊ समेत प्रदेश के 47 जिलों में लगेंगे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र

लखनऊ। पीएम केयर्स फंड से देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 समर्पित चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ये संयंत्र विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिह्नित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत यूपी के 47 जिलों में चिकित्सकीय ऑक्सीजन के इन संयंत्रों को लगाया जाएगा। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। ब्यूरो

पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 संयंत्र लगेंगे

अवध में इन जिलों में लगेगा संयंत्र : लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर।

यह होगा फायदा

इससे जिले के सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक पैदा होने वाली किल्लत से बच सकेंगे और कोरोना समेत बाकी जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सकेगी।

सिर्फ चिकित्सा में ही उपयोग की जाएगी तरल ऑक्सीजन

नौ उद्योगों को दी गई छूट ली वापस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को तरल ऑक्सीजन का उपयोग किसी भी गैर चिकित्सकीय कार्य में करने पर प्रतिबंध लगा दिया। गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में इसे लेकर नौ उद्योगों को पहले दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादकों को अपने प्लांट अधिकतम उत्पादन क्षमता पर चलाकर चिकित्सकीय उपयोग के लिए ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों को तरल ऑक्सीजन का पूरा मौजूदा स्टॉक भी तत्काल केंद्र सरकार को चिकित्सकीय जरूरतों के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ताकीद की है कि किसी भी तरह के उद्योग को तरल ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी

ऑक्सीजन लाने वाले जहाजों से कोई शुल्क न लें बंदरगाह

केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों से ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से बंदरगाहों पर लगने वाले सभी शुल्क खत्म करने का निर्देश दिया है। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सभी प्रमुख बंदरगाहों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटर लाने वाले जहाजों को बंदरगाहों पर आने को प्राथमिकता देने को कहा है।